एमपीएस–003 : भारत : लोकतंत्र एवं विकास
(अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य)

पाठ्यक्रम कोड : [illegible]
सत्रीय कार्य कोड : [illegible]

किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक भाग से कम से कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

भाग – I

1. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से सह–संबंधित हैं।
2. भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए।
3. भारतीय लोकतंत्र में 73वें और 74वे संवैधानिक संशोधनों के महत्त्व की चर्चा कीजिए।
4. भारत में संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
5. निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

   क) नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह
   ख) मानव विकास के संकेतक

भाग – II

6. भारत में मजदूर वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
7. निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए

   क) भारतीय लोकतंत्र में जाति
   ख) जेंडर और विकास

8. भारत में क्षेत्रवाद के फैलाव के कारकों की चर्चा कीजिए।
9. भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
10. निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए.

    क) पलायन के आर्थिक परिणाम
    ख) भारत मे पहचान की राजनीति

2. भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए ?

उत्तर संघीय अथवा संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म (Federalism) का हिन्दी रूपांतरण है। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है "संधि या समझौता"। भारत की संघीय व्यवस्था 1935 के भारत शासन नियम से अपनाई गई है और यह कनाडा की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है।

परिभाषा :- संघीय व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमे केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें एक ही स्त्रोत यानी संविधान की संप्रभु शक्ति के अधीन होती है तथा दोनो प्रकार की सरकारें अपने क्षेत्राधिकार मे कानून बनाती है तथा सर्वोच्च होती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 246 (शक्ति - विभाजन) भारत मे संघीय व्यवस्था की स्थापना का आधार प्रस्तुत करते है।

संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार "भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का एक संघ होगा"।

संविधान मे संघ के लिए 'Union' शब्द अपनाया गया है न कि 'Federalism'

* इसके दो अर्थ है - 1. भारतीय राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है। 2. राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

o-Line

इस प्रकार भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था के विपरीत और कनाडा के संघीय मॉडल के करीब है, जहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारत की संघीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय राजव्यवस्था संघीय मॉडल के अंतर्गत कार्य करती है जबकी आपात-कालीन परिस्थितियों में भारत की संघीय व्यवस्था एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने किसी सिद्धांत में बँधने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। डा. भीमराव अंबेडकर के अनुसार "भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है।"

* भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण

1. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत की संसद तथा विधानमण्डल अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। वे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है।

2. लिखित संविधान (Written Constitution)

लिखित संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख शर्त है। इससे संघ तथा राज्य में मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार निश्चित रहते हैं।

3. कठोर एवं लचीला संविधान (Rigid and Flexible Constitution)

संघात्मक संविधान प्रायः कठोर होते हैं जिससे उनमे परिवर्तन सरलता से नही किये जा सकते है। भारत का संविधान अमेरिका संविधान की तरह कठोर नही है।

4. शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)

भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केन्द्र को व स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को दिए गए है। शक्तियों का विभाजित तीन सूचियों के आधार पर किया गया है :-

संघ सूची → इसमे राष्ट्रीय महत्व के 99 विषय सम्मिलित किए गए है।

राज्य सूची → इसमें 66 विषय है जिसमे प्रमुख विषय निम्न है :- पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़के आदि।

समवर्ती सूची → मूल संविधान मे इस सूची मे 47 विषय रखे गये थे किन्तु 42वें संविधान संशोधन द्वारा पाँच विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है।

इन विषय (समवर्ती सूची) में राज्य तथा केंद्र दोनों ही कानून बना सकते है और यदि केंद्र और राज्य मे मतभेद हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा।

Line

अवशिष्ट शक्तियाँ :- भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है।

5. न्यायपालिका की सर्वोच्चता (Supremacy of Judiciary)

भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करता है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है।

6. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (Bi-Cameral Legislature)

संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं। भारत में संसद के दो सदन लोकसभा तथा राज्य सभा है। लोकसभा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

निष्कर्ष :- भारतीय संघवाद की सर्वाधिक उचित व्याख्या यह होगी की विभिन्न समय में इसके विभिन्न रूप व्यवहार में देखने को मिलते हैं भारत में एक प्रकार का संघवाद नहीं वरन अनेक प्रकार के संघवाद है। एक ही समय में अलग अलग राज्यों से केंद्र के भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध रहे है। कभी इन सम्बन्धों की व्याख्या सहयोगी संघवाद के आधार पर तो कभी एकात्मक संघवाद के आधार पर और प्रतियोगी दल व्यवस्था के युग में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था के रूप में व्याख्या की जाती है। वैसे तो ये तीनों ही प्रवृत्तियां प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था में कम या अधिक रूप से एक साथ ही विद्यमान रहती है।

-Line

परन्तु कभी-कभी ऐतिहासिक या बाहरी घटनाओं के कारण इनमें से किसी एक की प्रमुखता अन्य दो से अलग श्रेणी की बना देती है।

केन्द्र व राज्यों के मध्य समानतया: सामंजस्य रहा है। लेकिन जब भी केन्द्र व राज्यों में अलग-अलग दल की सरकारें गठित हुई है तब केंद्र व राज्य के बीच तनाव की वृद्धि हुई है। राज्यों द्वारा मांग की गई है कि केन्द्र तथा राज्यों के सहज संबंधों के पुनरीक्षण के लिये आयोग का गठन किया जाए। केन्द्र तथा राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए अब तक चार आयोग गठित किए गए हैं- प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, भगवान सहाय आयोग तथा सरकारिया आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग।

भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति को पूर्णत: संघात्मक, एकात्मक या अर्द्ध-संघात्मक कहना उचित नहीं है। भारत अपने ही प्रकार का एक विशिष्ट संघ है। यह परंपरागत संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह सार्वभौम राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें शक्ति संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ है। संघीय सरकार की शक्तियां विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध संरक्षण है। वे संवैधानिक कुशलता व राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है।

Topic _____ Date _____ Page No. _____

संविधानेत्तर कारको के विकास के कारण भी भारत मे संघ शक्तिशाली हुआ है। साझा सरकारो के युग मे राज्यो का केन्द्र से सौदेबाजी करने के अवसर उपलब्ध हुए है। भारतीय संघ को सहयोगी संघवाद की भी संज्ञा दी जाती है।

संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ (Union of States) की संज्ञा दी है।

3. भारतीय लोकतंत्र में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के महत्व की चर्चा कीजिए ?

उ० 3 73वां संशोधन अधिनियम एक त्रि-पंक्ति पंचायती राज व्यवस्था मुहैया कराता है - ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर। बीस लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को मध्यमिक स्तर पर पंचायत गठित करने या न करने की छूट दी गई है। इस अधिनियम ने ग्रामीण लोगों में सशक्तिकरण की व्यवस्था दी है। इस अधिनियम का अभिप्राय इसे एक सशक्त निकाय बनाना था। ग्राम सभा में एक गाँव के सभी निवासी होते हैं और जो 18 वर्ष की आयु से बड़े होते हैं गाँव की चुनाव संबंधी सूचियों में होते हैं लगभग सभी राज्य अधिनियम ग्राम तथा सरकारी बयान दरिद्रता विरोधी कार्यक्रमों के लाभ ग्रहियों का चुनाव आदि। हरियाणा, पंजाब व तमिलनाडु के राज्य अधिनियम ग्राम सभा को बजट स्वीकृति का अधिकार प्रदान करते हैं। ग्राम सभा द्वारा एक ग्राम प्रधान चुना जाता है। वह ग्राम पंचायत अन्य सदस्यों को भी चुनता है।

74वां संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों में तीन प्रकार की स्थानीय स्वशासनों के गठन हेतु व्यवस्था देता है। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद आदि जैसे प्रमुख शहरों के लिए नगरनिगमों की व्यवस्था करता है। मध्यम श्रेणी के शहर नगरपरिषदों तथा अपेक्षाकृत छोटे कस्बे

नगर पंचायतों स्थापित हैं। प्रत्येक नगर निगम में एक महापरिषद होती है इसमें शहर के वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा, परिषद में निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुने गए व्यक्ति जन भी होते हैं। सांसद व विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। महापौर सदस्यों द्वारा स्वयं के बीच से ही चुना जाता है।

कुछ राज्य महापौर के सीधे चुनाव की व्यवस्था करता है उसे शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। नगर निगम आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। एक नगर निगम के अनिवार्य कार्यों में शामिल है। अस्पतालों का रख रखाव स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बिजली स्कूल चलाना और जन्मों व मृत्यु का लेखा जोखा रखना।

निष्कर्ष :- संक्षेप में यह कहा जा सकता है की 73वें व 74वें संशोधन ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय के ग्राम विकास में उल्लेखनीय विकास को न सिर्फ नया जन्म दिया है बल्कि इसका कायाकल्प भी किया है उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके लिए कुछ निश्चित सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की है।

प्र० 5 निम्नलिखित प्रतीक पर लगभग 250 शब्दों मे टिप्पणी कीजिए

(क) नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह

(ख) मानव विकास के संकेतक

उ० (क) पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से मे नक्सलबाड़ी कृषक क्रांति भारत मे हुई प्रमुख क्रांतियों मे अंतिम है। यह औपनिवेशिकोत्तर भारत मे हुई तथा सी.पी. आई. एम के एक भाग द्वारा समर्थित थी। सी. पी. आई. एम के दो प्रमुख नेता जो पार्टी की आधिकारिक स्थिति से सहमत नहीं थे। तथा जिन्होंने आंदोलन अगुआई की वे थे कानू सान्याल और चारु मजुमदार। यह पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र मे आरंभ हुई जिसे दार्जिलिंग जिले के सिलिगुड़ी उपभाग नक्सलबाड़ी क्षेत्र कहा जाता है।

नक्सलबाड़ी और दारीबाड़ी तथा कानसिवा तीन पुलिस स्टेशन क्षेत्रों मे इस आंदोलन ने सैन्य रुख ले लिया। यह क्षेत्र पूरे पश्चिम बंगाल से भिन्न है क्योंकि इसमे कई चाय के बगान है तथा जनजातिय जनसंख्या की अधिकता है। चाय के बागान अर्थव्यवस्था के अनुसार विकसित हुई है जबकी इस क्षेत्र की जनजातिय जनसंख्या मे संथाल, राजवंशी, ओराओं, मुंडा तथा कुछ तराइ गुरजा शामिल है। इन दो कारणों के एक साथ होने से संपूर्ण क्षेत्र का पश्चिम बंगाल मे खेतीहर किसानों का लंबे समय से यह कहना रहा है।

इस प्रकार से इस विशिष्टता के कारण नक्सलबाड़ी क्षेत्र में कई कृषक विवाद हुए जिनकी अगुआई प्रमुख स्थानीय कृषक नेताओं ने की। तथा बाहर के मध्यम वर्गीय नेताओं ने यह क्रांति अप्रैल 1967 में पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद आरंभ हुई जिसमें C.P.I.M की सरकार में प्रमुख भागीदारी थी तथा सिलीगुड़ी उप-प्रभाग में जन तक पूर्ण रूप से सक्रिय रही। इस आंदोलन के नेता कानू सान्याल ने 10 प्रमुख कार्य लक्ष्य रखे। जिनमें अन्य के साथ-साथ गैर स्वाभाविक वाली तथा कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि का पुनः वितरण, किसानों द्वारा सभी वैधानिक विलेखों तथा कागजातों को जलाया जाना, साहूकारों तथा किसानों द्वारा कब्जा कर बाँटा जाना इत्यादि शामिल थे।

नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए प्रमुख अधिनियम

→ स्टीपेलचेस अधिनियम :- यह अधिनियम वर्ष 1971 में चलाया गया। इस अभियान में भारतीय सेना तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया था।

→ ग्रीनहंट अभियान :- यह अभियान वर्ष 2009 में चलाया गया। इस अभियान में पैरा-मिलिट्री बल तथा राष्ट्र पुलिस ने भाग लिया।

→ प्रहार :- 3 जून 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान को प्रारंभ किया गया।

उ० 5 (ख) मानव विकास के संकेतक

विश्व स्तर पर 'संयुक्त राज्य' विकास कार्यक्रम सभी देशों के लिए मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट निकाय था। यह महसूस किया गया था कि एकमात्र मानदण्ड अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद पर उसे तुलनात्मक आधार पर लागू किए जाने के कारण बहुत सी सीमाएँ थी।

1990 का प्रतिवेदन इस दिशा में प्रथम प्रयास था। इस प्रतिवेदन में मानव जीवन के तीन आवश्यक घटकों का पता चला : दीर्घ, आयु, ज्ञान और शालीन जीवन स्तर

★ शालीन जीवन स्तर - यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शालीन जीवन स्तर के लिए संसाधनों पर नियंत्रण आवश्यक है परंतु इसकी माप करना बहुत मुश्किल है। सर्वाधिक तुरंत उपलब्ध सूचक प्रति व्यक्ति आय है परन्तु इसका राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र व्यापक है। और इसमें बहुत सी अन्य गंभीर विसंगतियों के साथ-2 विभिन्नताएँ है। अतः प्रति व्यक्ति क्रय-शक्ति समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से सापेक्ष शक्ति का बेहतर अनुमान लग जाता है।

★ दीर्घ आयु :- दीर्घआयु की कामना के लिए संबंधातिक न्यायसंगत इस आत्मविश्वास में निहित है की मानव जीवन सर्वाधिक कीमती है और लंबा जीवन सभी मानवीय उपलब्धियों से मूल्यविहीन है।

यह साधन और अंत दोनों है। दीर्घ आयु पर्याप्त पोषण अच्छा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

★ ज्ञान — ज्ञान ही शक्ति है, यह एक पुरानी कहावत है साक्षरता सीखने और ज्ञानवर्धन में व्यक्ति का प्रथम कदम है। अतः एक साक्षर व्यक्ति बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एकता के पास अधिक पहुँच रखता है तथापि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साक्षरता का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि इसे व्यक्ति की उपलब्धि नहीं माना जाता अपितु यह किसी के अस्तित्व का आधार है।

यह समझा जाता है की उपरोक्त तीनों सूचकांकों की गंभीर सीमाएँ हैं जो औसत जिनपर यह आधारित हैं के विशाल पैमाने पर सामान्यकरण के स्तर के कारण है

भाग - 2

प्र० 6 भारत मे मजदूर वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का समालोचनात्मक परिक्षण कीजिए ?

उ० - 6 नई आर्थिक नीति - : ऐतिहासिक रूप से लंबे समय तक भारत एक बहुत विकसित आर्थिक व्यवस्था थी जिसके विश्व के अन्य भागो के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे औपनिवेशिक युग (1773-1947) के दौरान अंग्रेज भारत से सस्ती दरो पर कच्ची सामग्री खरीदा करते थे और तैयार माल भारतीय बाजारों मे सामान्य मूल्य से ज्यादा पर बेचते थे।

भारत मे 1980 तक G.N.P की विकास दर बहुत कम थी। लेकिन 1981 मे आर्थिक सुधारो के शुरू होने के साथ ही इसने गति पकड़ ली थी। 1991 मे सुधार पूरी तरह से लागू होने के बाद यह मजबूत हो गई थी 1950 से 1980 के तीन दशको मे GNP की विकास दर केवल 1.49 फीसदी थी।

1991 मे भारत सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए जो इस दृष्टि से वृहद प्रयास थे की इनमे विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तिय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था इन उपायो ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने मे मदद की।

Topic ____ Date ____ Page No. ____

1991 में नई आर्थिक नीति का श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव -:

1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद से देश में श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नई आर्थिक नीति के कई पहलु हैं पर उदारीकरण, निजीकरण तथा सार्वभौमिक पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच सौदाकारी में कमी आई है।

निजीकरण की नीतियों के अंतर्गत देश के श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियनों के समक्ष नई चुनौतियां उभर कर सामने आई है। समग्र रूप से इन नीतियों के परिणाम-स्वरूप संभावित समस्याएँ होंगी। श्रमिक के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम मजदूरी नहीं होगी। छंटनी के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। श्रमिक के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम मजदूरी नहीं होगी। छंटनी के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रकार से नियुक्त के पास भर्ती और बर्खास्तगी का पूर्ण अधिकार रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक या उससे अधिक समय से होने वाले विकास से श्रमिक वर्गों के सामने समस्याएँ हो गई है तथा ट्रेड यूनियन श्रमिकों के अधिकारों पूंजी की घुसपैठ को रोकने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रही हैं।

इस भाग के निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमारे लिए इस आंदोलन के कमजोर पक्ष की जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम देश में श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ट्रेड यूनियनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कुल मिलाकर इस देश की यूनियनों ने असंगठित क्षेत्र में समस्याओं की सदैव उपेक्षा की है तथा रुडोल्फ एवं रुडोल्फ ने ठीक ही कहा है कि वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली यूनियनों सहित सभी ने सरलता से संगठित था जिनके नियुक्त सरकार के बीच प्रतिक्रिया तत्परता से होती है उन्हें संगठित करने तथा उनकी ओर से मांगे रखने का सरल तरीका ढूंढा है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संगठित क्षेत्र की श्रमिकों की तुलना में असंगठित श्रमिक भिन्न तथा अधिक शोषित है।

प्रश्न-4 भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की व्याख्या कीजिए ?

भारतीय लोकतंत्र मे मीडिया की भूमिका

परिचय एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समाचार और विचारो को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमो के लिए इन दिनो मीडिया शब्द कठोर हो गया। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोग विधायिका और कार्यपालिका की खुलकर आलोचना करते है। न्यायपालिका की आलोचना करते हुए शब्द के उपयोग को सतर्क किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानहानी के मुकदमे से जुड़ा है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के नेता प्रशासनिक अधिकारी या है उपयोगिता जो परीक्षण के अधीन है वह हमेशा कहते है की उन्हे भारत के न्यायालय मे विश्वास है हालांकि जब अदालत द्वारा विपरीत निर्णय लिया जाता है तो उनके दिमाग के स्पष्ट होने मे अधिक समय नही लगता है। लेकिन हर कोई अक्सर मीडिया की आलोचना से बचता है

मीडिया की भूमिका समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकारो के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र की तीन संस्थाओ के खिलाफ विरोध

करना है। जब सरकारी संस्थान भ्रष्ट और निरंकुश हो जाते हैं तो मीडिया लाखों नागरिकों की आवाज उठाता है। आज के भारत में विभिन्न राजनीतिक संगठनों और व्यवसायिक समूहों के लिए मीडिया मुख्य पत्र बन गया।

भारतीय मीडिया की विशेषताएँ

भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि राष्ट्र के मीडिया द्वारा समय-2 पर विश्व दर्शकों द्वारा सनसनी फैलाने वाली खबर की आलोचना की जाती है।

जिस तरह भारतीय मीडिया खबरों की आलोचना करती है और जिस तरह से सूचनाओं को घुमाता है। दूसरी ओर भारतीय मीडिया ने कारगिल युद्ध 1999 और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में कवरेज में एक साहसिक भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण दर्शकों तक पहुंचने वाली खबरों की गुणवत्ता में कमी आई है क्योंकि मीडिया ने सरकार के काम को बढ़ावा देने के लिए पार्टियों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

समकालीन भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका

मीडिया लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है और यह न्याय और सरकार की नीतियों के लाभ को समाज के आंतरिक वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सरकार और देश के नागरिकों

के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। लोगों का मीडिया पर विश्वास है क्योंकि यह दर्शकों पर भी प्रभाव डालता है। भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता ने मीडिया से लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। क्योंकि परिवर्तन का यह चरण व्यक्तिगत धारणा के साथ विश्वास करना बहुत आसान हो गया है। देश की पुरानी पीढ़ी अभी भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर चीजों को तय करती है, जबकि वर्तमान युवाओं की दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में रुचि है। इस प्रकार मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि T.R.P. चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना पक्षपाती तो नहीं है।

निष्कर्ष :-

मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा हो सकता है लेकिन नियमन के बिना यह भारत में लोकतंत्र के लिए अपमानजनक भी हो सकता है इसे संवैधानिक सीमाओं और नियमों के बीच उचित स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज और उसके नेताओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरना है। वर्तमान युवाओं की सोशल मीडिया में ज्यादा रुचि है।